



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25-07-2020

दिनांक 24/25-07-2020 को रात्रि थाना ठाकुरगंज 01, गुडम्बा 02, इन्दिरानगर 02, गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डीसीपी दक्षिणी

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

थाना गोसाईगंज:—दिनांक 24-07-2020 को श्री धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा थाना प्रभारी गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01—रामू पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम घुसकर थाना गोसाईगंज लखनऊ के विरुद्ध थाना गोसाईगंज पर यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नगराम:—दिनांक 25-07-2020 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि वादी श्री बहादुर पुत्र बला निवासी ग्राम मोता का पुरवा मजरा कनेरी थाना नगराम लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि आज दिनांक 25-07-2020 को समय करीब रात्रि 03.00 बजे जब वादी व वादी का पूरा परिवार घर के बाहर सो रहे थे और वादी का पुत्र श्याम किशोर तथा बहू अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रहे थे, कि किसी अज्ञात व्यक्ति के कमरे में होने की आहट सुनाई देने पर वादी के परिवार वालो द्वारा शोर मचाया तो दीवार फांद कर उक्त अज्ञात दो व्यक्ति भागने लगे, जिनको वादी व उसके परिवार वालो द्वारा घर से कुछ दूरी पर जाकर नहर के किनारे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नामपता पूछा तो अपना नाम क्रमशः 01—दिनेश पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम मोसेपुर मजरा सेहगो थाना बछरावां जनपद रायबरेली 02—चुन्नीलाल पुत्र नौमीलाल निवासी ग्राम मोसेपुर मजरा सेहगो थाना बछरावां जनपद रायबरेली है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया सामान एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछिया, एक मंगल सूत्र, एक जोड़ी खगोरा (सफेद धातु) व 500/—रुपया बरामद कर उक्त पकड़े गये व्यक्तियों को थाने पर लाया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगराम पर मु0अ0सं0 112/2020 धारा 457/380/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना ठाकुरगंज:—दिनांक 25-07-2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्री राकेश पुत्र जगत पाल निवासी माधौपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 25-07-2020 को समय करीब 01.00 बजे दिन में उसके पिता श्री जगतपाल उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी माधौपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने फांसी लगा लिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विनय कुमार मिश्रा मो0नं0—8840903974 द्वारा की जा रही है,** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के द्वारा घर के अन्दर लगे लोहे के जाल में तहमद (लुंगी) का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक खेती किसानी करता था, मृतक की पत्नी को 02 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है।